न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00338

महेन्द्र सिंह आत्मज श्री लाभ सिंह जाति जट सिक्ख निवासी अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. दलवीर सिंह आत्मज लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी खेराडी गुरूद्वारा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कृष्ण दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 27.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनेठा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खाता संख्या नया 193 पुराना 173 के खसरा नम्बर 2757/2026 रकबा 1.73 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी क्रय के समय से ही पारिवारिक सहमति से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी के पिता लाभ सिंह अपनी पुश्तैनी भूमि जो पंजाब में थी को बेचकर ग्राम अरनेठा में भूमियॉ क्रय की जिसे वादी के पिता ने सुविधानुसार कुछ भूमि अलग–अलग खातों में तथा कुछ भूमि संयुक्त खातों में क्रय की जिसका लाभ सिंह ने अपने जीवनकाल में ही पारिवारिक समझौते के आधार पर बंटवारा कर दिया जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी के हिस्से में आयी तथा तब से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं । पारिवारिक समझौते के मुताबिक अपने हिस्से में आयी भूमि को प्रतिवादी द्वारा पूर्व में

बेचान किया जा चुका है वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 का कोई अधिकार नहीं है और न ही उनका कब्जा काश्त है । उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 01 का नाम अंकन होने से प्रतिवादी के मन में बदनियति आ गई है और वह ताकत के बल पर उक्त भूमि को हडपना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि उक्त भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्वयं को खातेदार घोषित करवाये तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादी क्रम 01 स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 के द्वारा वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किये वाद पत्र में चाही गई प्रार्थना का सम्पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर वाद आंशिक रूप से डिक्री किया है जबकि वाद पूर्ण रूप से तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर साबित है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त आराजी को वादी अपीलान्ट के स्वामित्व की माना है फिर भी घोषणा की डिक्री पारित नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था और यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर क्रय के समय से ही पारिवारिक सहमति से वादी का कब्जा है । प्रतिवादी क्रम 02 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई और दिनांक 29.05.2017 को लोक अदालत में दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय पारित किया गया । बिना किसी कारण सम्पूर्ण सहायता नहीं दी गई है जबकि वादी के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात का कोई खण्डन नहीं किया गया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि लोक अदालत में वादी उपस्थित थे रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया था रेस्पोडेन्ट अपील प्रस्तुत कर सकते थे परन्तु अपील अपीलान्ट वादी ने पेश की है । लोक अदालत में उनके दावे को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया था । दावे की आदेशिका दिनांक 01.02.2017 के अनुसार पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसके उपरान्त इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी उपस्थित हुए हैं और उसी दिन उनके बयान लिये जाकर दावा वादी आंशिक रूप से डिक्री किया गया है । दस्तावेजात को प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया है । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 07.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 27.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा